न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 15/2025

छोटेलाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी सिर्रा वाली ढाणी दौसा
.. अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 09.07.2025 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम छोटेलाल अंतर्गत धारा 75 रा0 भूराजस्व अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>   दिनांकः 30.10.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 9.7.2025 को उनवानी प्रकरण सरकार बनाम छोटेलाल अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के पारित निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कियोग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा प्रार्थी को दिनांक 13.06.2025 को बाबत खसरा नंबर 231 वाके दौसा कलां तहसील दौसा पर 0.03 है0भूभाग पर अतिक्रमण करने के संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.06.2019 को मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नंबर 231 किस्म चरागाह वाके दौसा कलां के किसी भी भूभाग पर कभी भी कोईअतिक्रमण नहीं किया गया है खसरा नंबर 231 पर करीब बीस साल पूर्व से पुख्ता बाउण्डरी बनी हुईहै जिस पर जलदाय विभाग की टंकी बनी हुईहै। खसरा नंबर 231 के पूर्ण भाग पर पुख्ता बाउण्डरी बनी हुईहै जिस पर किसी प्रकार से अतिक्रमण किया गया है कल्पना से परे है। हल्का पटवारी द्वारा श्रीमान को गलत रूप से रिपोर्ट प्रेषित की गई है। खसरा नंबर 231 वाके दौसा कलां के लगता हुआ प्रार्थी की संयुक्तखातेदारी की भूमि खसरा नंबर 504 व 505 वाके दौसा कलां स्थित है। जिस पर अपीलान्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 504 व 505 के नक्शा शीट को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत प्रकार से अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि के कुछ भाग को खसरा नंबर 231 गलत प्रकार से दर्शित किया गया है [illegible] द्वारा नक्शे को दुरस्त करवाने के लिए न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा [illegible] वाद प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर [illegible] नौकरी पेशा व्यक्तिहै जिसके विरूद्ध गलत प्रकार से हल्का [illegible] लोगों से मिलकर अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि मे होकर रास्ता निकलवाने की ग[illegible] से झूठे तथ्यों के [illegible] पर तहसीलदार दौसा के यहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थी की साबिक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर के अनुसार नाप करवाने का भी आग्रह किया जिसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब की अनदेखी कर जेर अपील निर्णय पारित दिनांक 09.07.2025 पारित फरमाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि द्वारा पारित सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिक दिनांक 03.06.25 में पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 13.06.2025 को पेश हो। दिनांक 13.06.2025 की आदेशिका में अंकित फरमाया है कि पत्रावली पेश हुई नोटिस तामिल प्राप्त है। गैर सायलान उपस्थित होकर अतिक्रमण न करने के साक्ष्य प्रस्तुत किये। अतः पत्रावली आगामी आदेश दिनांक 24.06.25 को पेश हो । आदेशिका दिनांक 30.06.2025 में गैर सायलान की अनुपस्थित दर्ज करते हुए पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश फरमाकर आगामी तारीख पेशी 09.07.2025 नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 03.06.2025 को अपीलान्ट को बिना सुने अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किये गये है। इस तरह अपीलान्ट को बिना सुने ही अप्रत्यक्ष रूप से दिनांक 03.06.2025 को अपीलान्ट का अतिक्रमण मान लिया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना विधि विरूद्व आदेश फरमाकर गंभीर त्रृटि कारित की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2025 को अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण न करने के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है जिनका अपने निर्णय में विवेचन किये बिना जेर अपील दिनांक 09.07.2025 पारित कर गंभीर त्रुटि कारित की है निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2025 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट मंगवाई थी जो दिनांक 11.07.2025 द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये बिना हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के यहां प्रस्तुत की गई थी। तहसीलदार की रिपोर्ट के बिना ही दिनांक 09.07.2025 को जेर अपील निर्णय पारित कर गंभीर त्रुटि कारित की है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.07.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 231 रकबा 0.03है0 पर पक्की दीवार लगाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 231 रकबा 0.03है. पर पक्की दीवार निर्माण कर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स अधीनस्थ तहसीलदार मण्डावर के न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 231 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। खसरा नंबर 231 में जलदाय विभाग की टंकी एवं उक्त खसरा नंबर अरसा करीब 20 वर्ष पूर्व से बना हुआ है। खसरा नंबर 231 वाके कस्बा दौसा के लगती हुई अपीलांट व अन्य सह खातेदारों की भूमि खसरा नंबर 504 व 505 स्थित है जिस पर अपीलांट व अन्य सह खातेदार काबिज रहकर लाभांवित होते चले आ रहे है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अपीलांट व सह खातेदारान की भूमि खसरा नंबर 504 व 505 के नक्शा ट्रैंस में परिवर्तन कर दिया। जिसका दुरूस्त करने हेतु अपीलांट शीघ्र ही सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करेगा। जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलांट के द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 231 पर अतिक्रमण किया है। जहॉ तक पटवारी हल्का के द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट दिनांक 11.7.2025 को प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि पटवारी हल्का दौसा कलां के द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार दौसा के समक्ष दिनांक 7.4.2025 को प्रस्तुत की गई है। साथ ही तहसीलदार दौसा द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिचार किया जाना सिद्ध होता है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2025 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official